समस्त डॉग ब्रीडर्स/ ट्रेडर्स/ हैन्डलर्स के सूचनार्थ

Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 के महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. प्रत्येक डॉग ब्रीडर द्वारा राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र को डॉग ब्रीडिंग सैन्टर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
3. कोई भी व्यक्ति असत्य सूचनाऐं देने अथवा पशुओं के प्रति क्रूरता के प्रकरण में सिद्धदोषी पाये जाने पर पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा।
4. पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा स्वस्थ घोषित श्वानपशु ही ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जायेगा।
5. न्यूनतम डेढ (1.5) वर्ष तथा अधिकतम आठ (8) वर्ष आयु की मादा श्वानपशुओं को ही ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जायेगा। न्यूनतम डेढ (1.5) वर्ष आयु के उपरान्त ही नर श्वानपशु को प्रजनन हेतु उपयोग किया जायेगा।
6. डॉग ब्रीडर द्वारा, प्रत्येक श्वानपशु की आयु से सम्बन्धित रिकार्ड को पशुचिकित्सक से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रखा जायेगा।
7. मादा श्वानपशु से एक वर्ष में अधिकतम एक बार ही ब्रीडिंग करायी जायेगी।
8. मादा श्वानपशु से निरन्तर दो ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग कराया जाना अवैध है।
9. मादा श्वानपशु से जीवनकाल में अधिकतम पांच बार ही ब्रीडिंग करायी जायेगी।
10. मादा श्वानपशुओं के गर्भाधान हेतु Artificial Insemination अथवा Rape Stand Technique का उपयोग कराया जाना अवैध है।
11. मादा श्वानपशु का अन्तः प्रजनन (inbreeding) एवं सगोत्र प्रजनन (incest breeding) कराया जाना अवैध है।
12. श्वानपशुओं की पूँछ काटने (Docking), कान काटने (Cropping), ध्वनि अवरोध शल्यक्रिया (Debarking Surgery) अथवा अन्य प्रकार के अंग विच्छेदन (Declawing/ Branding/ Dyeing) या श्वानपशुओं को अनोखा दिखाये जाने हेतु कृत्रिम संसाधनों/ शल्यचिकित्सा अवैध है।
13. आठ (8) सप्ताह से कम आयु वर्ग के शिशु श्वानपशु विक्रय किया जाना अवैध है।
14. प्रत्येक शिशु श्वानपशु के विक्रय से पूर्व माइक्रोचिप लगाना, आवश्यक टीकाकरण तथा विकृमिकरण कराना तथा चिकित्सा के समस्त अभिलेखों को पशु क्रेता को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
15. डॉग ब्रीडर द्वारा बेचे गये प्रत्येक श्वानपशु से सम्बन्धित टीकारण, चिकित्सा, विकृमिकरण, पशुचिकित्सक का नाम, पता तथा दूरभाष संख्या से सम्बन्धित रिकार्ड सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।
16. शिशु श्वानपशुओं के विक्रय हेतु जनसामान्य को प्रदर्शन (Public display for sale) किया जाना अवैध है।

अपील : पशुप्रेमियों से अपील है कि धोखाधड़ी एवं पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता की रोकथाम हेतु पंजीकृत डॉग ब्रीडर से ही पशु खरीदें।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135 2535850 फैक्स : 0135 2532811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com